ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL**04292**
RNI REG. NO. UPBIL/**2014/66218** **PP. No.- 236-239**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- III, Issues-41, YEAR- July-Sept. 2026

व्यक्तिगत विधि के तहत भारतीय महिलाओं के साम्पत्तिक अधिकारों का तुलनात्मक अध्ययन

गरिमा पाल,
2. प्रो. (डॉ.) शितिकण्ठ दूबे

शोध अध्येत्री, 2. प्रोफेसर, विधि संकाय, आगरा कॉलेज, (डॉ. भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा), आगरा (उ0प्र0) भारत

Received-06.07.2026, Revised-14.07.2026, Accepted-20.07.2026, **E-mail:garimapal0018@gmail.com**

सारांशः भारत में उत्तराधिकार एवं सम्पत्ति–वितरण की व्यवस्था धर्म–आधारित व्यक्तिगत विधियों से प्रभावित होती है। हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदायों की महिलाओं के साम्पत्तिक अधिकार समान नहीं हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में वर्ष 2005 के संशोधन द्वारा पुत्री को जन्म से सहदायिकी का दर्जा देकर पैतृक सम्पत्ति में पुत्र के समान अधिकार प्रदान किया गया। इसके विपरीत, मुस्लिम विधि महिलाओं को निश्चित उत्तराधिकार अंश प्रदान करती है, परंतु सामान्यतः समान स्तर के पुरुष उत्तराधिकारी की तुलना में महिला का हिस्सा आधा होता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अंतर्गत ईसाई और पारसी महिलाओं के अधिकार अपेक्षाकृत लैंगिक समानता पर आधारित हैं, यद्यपि जीवित पति या पत्नी के हिस्से तथा वंशजों के बीच वितरण के नियम अलग–अलग हैं। प्रस्तुत शोध–लेख में भारतीय संविधान के समानता–सिद्धान्त की पृष्ठभूमि में हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी महिलाओं के स्वामित्व, उत्तराधिकार, पैतृक सम्पत्ति, विधवा के अधिकार और वसीयत से सम्बन्धित अधिकारों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि विधिक सुधारों के बावजूद सामाजिक दबाव, मौखिक त्याग, अभिलेखों में नाम न चढ़ाया जाना तथा न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता महिलाओं के प्रभावी सम्पत्ति–अधिकारों में प्रमुख बाधाएँ हैं।

कुंजीभूत शब्द– महिला सम्पत्ति अधिकार, व्यक्तिगत विधि, उत्तराधिकार, सहदायिकी, मुस्लिम विधि, हिन्दू उत्तराधिकार,लैंगिक समानता।

1. प्रस्तावना– सम्पत्ति पर अधिकार किसी व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक प्रतिष्ठा और निर्णय लेने की क्षमता का आधार होता है। भारतीय समाज में महिलाओं को परम्परागत रूप से परिवार की सम्पत्ति का स्वतंत्र स्वामी मानने के स्थान पर पुत्री, पत्नी अथवा विधवा के रूप में आश्रित समझा गया। विवाह के बाद पुत्री को दूसरे परिवार का सदस्य मानने तथा पुत्र को वंश और सम्पत्ति का उत्तराधिकारी समझने की सामाजिक मान्यताओं ने महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों को सीमित किया।

भारतीय संविधान विधि के समक्ष समानता, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध और राज्य को महिलाओं के पक्ष में विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 15 लिंग–आधारित भेदभाव के निषेध तथा अनुच्छेद 15(3) महिलाओं के लिए विशेष विधायी उपायों को संवैधानिक आधार देता है। अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन की रक्षा करता है, जबकि अनुच्छेद 300–क के अनुसार किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।[1]

इसके बावजूद भारत में उत्तराधिकार का क्षेत्र पूर्णतः एकसमान नहीं है। हिन्दुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों पर सामान्यतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू होता है। मुसलमानों पर मुस्लिम व्यक्तिगत विधि के सिद्धान्तय तथा ईसाइयों और पारसियों पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के पृथक प्रावधान लागू होते हैं।[2] इस विविधता के कारण महिलाओं के हिस्से, अधिकार की प्रकृति और उत्तराधिकारियों की प्राथमिकता में अन्तर पाया जाता है।

2. अध्ययन के उद्देश्य एवं पद्धति– इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य हैं:

1. विभिन्न व्यक्तिगत विधियों के अंतर्गत महिलाओं के साम्पत्तिक अधिकारों का अध्ययन करना।
2. पुत्री, पत्नी, माता और विधवा के उत्तराधिकार अधिकारों की तुलना करना।
3. संवैधानिक समानता और व्यक्तिगत विधियों के बीच सम्बन्ध का विश्लेषण करना।
4. न्यायिक निर्णयों और विधायी सुधारों की भूमिका का मूल्यांकन करना।
5. महिलाओं के साम्पत्तिक अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है। इसमें संविधान, उत्तराधिकार सम्बन्धी अधिनियमों, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों और प्रामाणिक विधि–ग्रन्थों जैसे द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है।

3. हिन्दू महिलाओं के साम्पत्तिक अधिकार– 3.1 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956: हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 ने हिन्दू महिलाओं की सम्पत्ति सम्बन्धी स्थिति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया। अधिनियम की धारा 14 के अनुसार किसी हिन्दू महिला के अधिकार में विद्यमान सम्पत्तिकृचाहे वह उत्तराधिकार, विभाजन, भरण–पोषण, उपहार, क्रय अथवा स्त्रीधन के रूप में प्राप्त हुई होः सामान्यतः उसकी पूर्ण सम्पत्ति मानी जाती है। इस प्रावधान ने सीमित महिला सम्पदा की पुरानी धारणा को समाप्त कर महिला को पूर्ण स्वामिनी बनाया।[3]

धारा 8 और अधिनियम की अनुसूची के अनुसार किसी पुरुष हिन्दू की निर्वसीयती मृत्यु पर उसकी विधवा, पुत्र और पुत्री प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होते हैं और सामान्यतः समान हिस्सा प्राप्त करते हैं। मृतक की माता भी प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। इस प्रकार पृथक अथवा स्व–अर्जित सम्पत्ति में पुत्री, विधवा और माता को विधिक प्राथमिकता प्रदान की गई है।[4]

3.2 पुत्री का सहदायिकी अधिकारः मूल हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में मिताक्षरा संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी में केवल पुरुष सदस्यों को जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त था। हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 ने धारा 6 को प्रतिस्थापित करके पुत्री को पुत्र के समान जन्म से सहदायिक बना दिया। अब पुत्री को पैतृक सहदायिकी सम्पत्ति में वही अधिकार और दायित्व प्राप्त हैं जो पुत्र को प्राप्त होते हैं। वह विभाजन की माँग कर सकती है और अपने हिस्से का स्वतंत्रतापूर्वक हस्तान्तरण भी कर सकती है।[5]

'विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा' में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पुत्री का सहदायिकी अधिकार जन्म से उत्पन्न होता है और इस अधिकार के लिए यह आवश्यक नहीं कि पिता 9 सितम्बर 2005 को जीवित रहा हो। न्यायालय ने यह भी कहा कि संशोधित धारा 6 का लाभ संशोधन से पहले जन्मी पुत्रियों को भी मिलेगा, परन्तु 20 दिसम्बर 2004 से पूर्व विधिपूर्वक सम्पन्न विभाजन अथवा सम्पत्ति–हस्तान्तरण सुरक्षित रहेंगे।[6]

3.3 हिन्दू महिला की मृत्यु पर उत्तराधिकारः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 और 16 महिला हिन्दू की निर्वसीयती मृत्यु पर उसकी सम्पत्ति के उत्तराधिकार की व्यवस्था करती हैं। प्रथम क्रम में उसके पुत्र, पुत्री और पति उत्तराधिकारी होते हैं। उनके अभाव में पति के उत्तराधिकारी, उसके बाद माता–पिता तथा तत्पश्चात पिता और माता के उत्तराधिकारी आते हैं।[7]

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- III, Issues-41, YEAR- July-Sept. 2026

यहाँ एक लैंगिक असमानता दिखाई देती है। पुरुष हिन्दू की सम्पत्ति में उसकी माता प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है, लेकिन महिला की सामान्य सम्पत्ति में माता–पिता को उसके पति के उत्तराधिकारियों के बाद स्थान मिलता है। यद्यपि धारा 15(2) में माता–पिता से विरासत में मिली सम्पत्ति तथा पति या ससुर से प्राप्त सम्पत्ति के लिए स्रोत–आधारित अपवाद दिए गए हैं, फिर भी धारा 15 की प्राथमिकता–व्यवस्था की लैंगिक न्याय की दृष्टि से आलोचना की जाती है।

3.4 स्त्रीधनः विवाह से पहले, विवाह के समय अथवा विवाह के बाद महिला को माता–पिता, पति, ससुराल अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्राप्त उपहार स्त्रीधन हो सकते हैं। स्त्रीधन पर महिला का विशिष्ट और पूर्ण अधिकार होता है। 'प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार' में उच्चतम न्यायालय ने माना कि स्त्रीधन विवाह के बाद पति या उसके परिवार की सम्पत्ति नहीं बनता। पति अथवा ससुराल पक्ष द्वारा उसे रोकना महिला के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।[8]

4. मुस्लिम महिलाओं के साम्पत्तिक अधिकार– मुस्लिम व्यक्तिगत विधि (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 के अनुसार मुसलमानों के निर्वसीयती उत्तराधिकार, महिला की विशेष सम्पत्ति, विवाह, मेहर और अन्य निर्दिष्ट विषयों में मुस्लिम व्यक्तिगत विधि लागू होती है।[9] मुस्लिम उत्तराधिकार व्यवस्था में जन्म से पैतृक सम्पत्ति में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता। उत्तराधिकार केवल सम्पत्ति–स्वामी की मृत्यु के बाद खुलता है। हिन्दू सहदायिकी के समान संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति की अवधारणा मुस्लिम विधि में नहीं है।

मुस्लिम महिला अपनी अर्जित, क्रय की हुई, उपहार, मेहर या विरासत में प्राप्त सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी होती है। विवाह के कारण पति–पत्नी की सम्पत्ति संयुक्त नहीं हो जाती और पति पत्नी की सम्पत्ति पर स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं करता। मेहर पत्नी का विधिक अधिकार और पति पर ऋण माना जाता है।

सुन्नी विधि के सामान्य नियमों के अनुसारः

- पुत्र के साथ पुत्री को पुत्र के हिस्से का आधा हिस्सा प्राप्त होता है।
- एकमात्र पुत्री, पुत्र के अभाव में, सामान्यतः आधी सम्पत्ति की हिस्सेदार होती है।
- दो या अधिक पुत्रियाँ, पुत्र के अभाव में, सामूहिक रूप से दो–तिहाई हिस्सा प्राप्त करती हैं।
- संतान होने पर विधवा को पति की सम्पत्ति का एक–आठवाँ भाग और संतान न होने पर एक–चौथाई भाग मिलता है।
- संतान होने पर माता को सामान्यतः एक–छठा हिस्सा प्राप्त होता है।
- पत्नी की मृत्यु पर संतान होने की स्थिति में पति को एक–चौथाई तथा संतान न होने पर आधा हिस्सा प्राप्त होता है।[10]

इस व्यवस्था की विशेषता यह है कि महिला को निश्चित और विधिक रूप से संरक्षित हिस्सा दिया जाता है। उसे उत्तराधिकार से पूर्णतः बाहर नहीं किया जा सकता। उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना कोई मुस्लिम व्यक्ति सामान्यतः अपने शुद्ध सम्पत्ति–भंडार के एक–तिहाई से अधिक की वसीयत नहीं कर सकता।[11] इससे महिला उत्तराधिकारियों के निर्धारित अंश को कुछ संरक्षण मिलता है।

फिर भी पुत्र और पुत्री के हिस्से में 2–1 का अनुपात औपचारिक समानता की दृष्टि से विवादास्पद है। पारम्परिक औचित्य यह है कि मुस्लिम विधि में परिवार के आर्थिक भरण–पोषण, मेहर और अन्य आर्थिक उत्तरदायित्व पुरुष पर डाले गए हैं, जबकि महिला का हिस्सा उसकी स्वतंत्र सम्पत्ति रहता है। वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में, जहाँ महिलाएँ भी परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियाँ निभाती हैं, इस औचित्य की पुनर्समीक्षा की माँग की जाती है।

5. ईसाई महिलाओं के साम्पत्तिक अधिकार– भारतीय ईसाइयों के निर्वसीयती उत्तराधिकार का विनियमन मुख्यतः भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 द्वारा होता है। अधिनियम की धारा 33 के अनुसार यदि मृतक अपने पीछे विधवा और वंशज छोड़ता है तो विधवा को सम्पत्ति का एक–तिहाई भाग और शेष दो–तिहाई भाग वंशजों को मिलता है। यदि वंशज नहीं हैं, लेकिन निकट सम्बन्धी हैं, तो विधवा को आधा हिस्सा मिलता है। निकट सम्बन्धियों के भी अभाव में विधवा सम्पूर्ण सम्पत्ति प्राप्त कर सकती है।[12]

धारा 37 के अनुसार मृतक की सम्पत्ति का बच्चों के बीच वितरण सामान्यतः समान रूप से किया जाता है। इसमें पुत्र और पुत्री के बीच कोई भेद नहीं है। इस प्रकार ईसाई उत्तराधिकार व्यवस्था में पुत्री को पुत्र के समान हिस्सा मिलता है। हालाँकि हिन्दू विधि की तरह पुत्री को जन्म से किसी संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति में सहदायिकी अधिकार नहीं मिलताय उसका अधिकार सम्पत्ति–स्वामी की मृत्यु के बाद उत्पन्न होता है।

'मैरी रॉय बनाम केरल राज्य' में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि त्रावणकोर क्षेत्र के सीरियाई ईसाइयों पर पुराने त्रावणकोर ईसाई उत्तराधिकार अधिनियम के भेदभावपूर्ण प्रावधानों के स्थान पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 लागू होगा। इस निर्णय ने सीरियाई ईसाई महिलाओं को पुत्रों के समान उत्तराधिकार अधिकार दिलाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई।[13]

ईसाई विधि में विधवा का हिस्सा संतान होने पर केवल एक–तिहाई होने के कारण हिन्दू विधि की तुलना में कम हो सकता है। उदाहरणतः किसी हिन्दू पुरुष की मृत्यु पर पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री हों तो सामान्यतः प्रत्येक को एक–तिहाई भाग मिलेगा। इसी पारिवारिक संरचना में ईसाई विधवा को एक–तिहाई तथा शेष दो–तिहाई पुत्र और पुत्री में बराबर बाँटा जाएगा, अतः परिणाम समान होगा। लेकिन बच्चों की संख्या बढ़ने पर विधवा का एक–तिहाई हिस्सा स्थिर रहता है, जबकि हिन्दू विधि में उसका हिस्सा उत्तराधिकारियों की संख्या के अनुसार घट सकता है।

6. पारसी महिलाओं के साम्पत्तिक अधिकार– पारसियों के निर्वसीयती उत्तराधिकार के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धाराएँ 50 से 56 विशेष नियम निर्धारित करती हैं। वर्तमान व्यवस्था में पारसी मृतक की विधवा अथवा विधुर और प्रत्येक संतान को सामान्यतः समान हिस्सा मिलता है। पूर्वमृत पुत्र या पुत्री की शाखा को प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार हिस्सा मिल सकता है।[14]

पारसी विधि की महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह पुत्र और पुत्री के बीच सामान्यतः समानता स्वीकार करती है। इसी प्रकार जीवित पति और जीवित पत्नी के अधिकारों में भी अपेक्षाकृत पारस्परिकता पाई जाती है। फिर भी उत्तराधिकार की वास्तविक गणना मृतक के पीछे जीवित अलग–अलग श्रेणी के सम्बन्धियों पर निर्भर करती है।

7. विभिन्न व्यक्तिगत विधियों का तुलनात्मक मूल्यांकन–

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- III, Issues-41, YEAR- July-Sept. 2026

तुलना का आधार	हिन्दू विधि	मुस्लिम विधि	ईसाई विधि	पारसी विधि
प्रमुख विधि	हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956	शरीयत अधिनियम, 1937 एवं मुस्लिम विधि	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
पुत्री का अधिकार	पुत्र के समानय सहदायिकी में जन्मसिद्ध अधिकार	सामान्यतः पुत्र के हिस्से का आधा	पुत्र के समान	पुत्र के समान
जन्म से पैतृक अधिकार	हाँ, मिताक्षरा सहदायिकी में	नहीं	नहीं	नही
विधवा का अधिकार	प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारीय पुत्र–पुत्री के समान एक हिस्सा	संतान होने पर 1/8य संतान न होने पर 1/4	वंशज होने पर 1/3	सामान्यतः संतान के समान हिस्सा
माता का अधिकार	प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी	परिस्थितियों के अनुसार सामान्यतः 1/6 या 1/3	निकट सम्बन्धी के रूप में लागू नियमों के अनुसार	विशेष पारसी नियमों के अनुसार
महिला की अपनी सम्पत्ति	पूर्ण स्वामित्व	पूर्ण स्वामित्व	पूर्ण स्वामित्व	पूर्ण स्वामित्व
वसीयत की शक्ति	सामान्यतः सम्पूर्ण व्यक्तिगत सम्पत्ति की वसीयत सम्भव	उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना सामान्यतः 1/3 तक	सामान्यतः व्यापक वसीयती स्वतंत्रता	सामान्यतः व्यापक वसीयती स्वतंत्रता

तुलनात्मक रूप से हिन्दू पुत्री को 2005 के बाद सबसे व्यापक जन्मसिद्ध अधिकार मिला है। ईसाई और पारसी विधियाँ पुत्र–पुत्री के बीच समानता स्थापित करती हैं, लेकिन उनमें सहदायिकी सम्पत्ति की अवधारणा नहीं है। मुस्लिम विधि महिला को निश्चित हिस्सा देकर उसे पूर्ण बहिष्कार से बचाती है, परंतु पुत्र–पुत्री के हिस्से में संख्यात्मक समानता स्वीकार नहीं करती।

हिन्दू विधि में पुत्री के अधिकार मजबूत होने के बावजूद महिला हिन्दू की अपनी सम्पत्ति के उत्तराधिकार सम्बन्धी धारा 15 में पति के उत्तराधिकारियों को माता–पिता से पहले स्थान मिलना असमानता का उदाहरण है। ईसाई विधि में पुत्री के समान अधिकार स्पष्ट हैं, पर विधवा का निर्धारित हिस्सा पारिवारिक संरचना के अनुसार अन्य विधियों की तुलना में अधिक या कम हो सकता है।

8. विशेष विवाह और उत्तराधिकार– विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 21 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह करने वाले पक्षकारों और उनकी संतानों का उत्तराधिकार सामान्यतः भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अनुसार विनियमित होता है। लेकिन धारा 21–क के अनुसार यदि विवाह के दोनों पक्ष हिन्दू, बौद्ध, सिख या जैन हैं, तो धारा 21 लागू नहीं होती और उनका उत्तराधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से ही नियंत्रित होता है।[15] अतः केवल विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह कर लेने से प्रत्येक मामले में उत्तराधिकार विधि स्वतः नहीं बदलती।

9. व्यावहारिक समस्याएँ– कानून में अधिकार प्राप्त होने और वास्तविक रूप से सम्पत्ति मिलने के बीच बड़ा अन्तर है। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में अनेक पुत्रियाँ पारिवारिक सम्बन्ध बनाए रखने, भाई के विरोध या सामाजिक दबाव के कारण अपना हिस्सा छोड़ देती हैं। कई बार त्यागपत्र के परिणाम समझे बिना उनसे हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। राजस्व अभिलेखों में महिला का नाम दर्ज न कराना भी एक प्रमुख समस्या है।

महिलाओं में कानूनी जानकारी की कमी, मुकदमे का खर्च, लम्बी न्यायिक प्रक्रिया, सम्पत्ति के दस्तावेजों तक पहुँच न होना और परिवार के पुरुष सदस्यों के नियंत्रण में अभिलेख रहना अधिकारों के प्रयोग को कठिन बनाते हैं। विवाह में दिया गया दहेज भी कभी–कभी उत्तराधिकार के बदले के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि दहेज और वैधानिक उत्तराधिकार दो अलग विषय हैं।

कृषि भूमि से सम्बन्धित राज्य कानूनों और स्थानीय राजस्व प्रक्रियाओं में भी व्यावहारिक जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं। यद्यपि हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 ने कृषि भूमि सम्बन्धी पूर्व अपवाद को हटा दिया, फिर भी वास्तविक नामान्तरण और कब्जे में महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

10. सुझाव– महिलाओं के साम्पत्तिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं:

1. सभी उत्तराधिकार मामलों में पुत्रियों, विधवाओं और माताओं को अनिवार्य सूचना दी जानी चाहिए।
2. सम्पत्ति के नामान्तरण में सभी महिला उत्तराधिकारियों के नाम स्वतः दर्ज किए जाने चाहिए।
3. महिला द्वारा उत्तराधिकार त्यागने से पहले स्वतंत्र विधिक परामर्श और न्यायिक अथवा राजस्व अधिकारी के समक्ष सत्यापन अनिवार्य होना चाहिए।
4. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 की उत्तराधिकार–प्राथमिकताओं की लैंगिक समानता के आधार पर पुनर्समीक्षा की जानी चाहिए।
5. व्यक्तिगत विधियों में विद्यमान लैंगिक असमानताओं पर समुदाय, महिला संगठनों और विधि आयोग के परामर्श से चरणबद्ध सुधार किए जाने चाहिए।
6. विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा महिलाओं को निःशुल्क परामर्श, नामान्तरण सहायता और उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सहयोग दिया जाना चाहिए।
7. विवाह के समय प्राप्त स्त्रीधन और उपहारों की लिखित तथा डिजिटल सूची तैयार की जानी चाहिए।
8. महिलाओं के नाम सम्पत्ति पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्टाम्प शुल्क में रियायत जैसी नीतियों का विस्तार किया जाना चाहिए।

11. निष्कर्ष– भारतीय महिलाओं के साम्पत्तिक अधिकारों का तुलनात्मक अध्ययन स्पष्ट करता है कि सभी व्यक्तिगत विधियों ने महिलाओं को किसी–न–किसी रूप में सम्पत्ति रखने और उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार दिया है, लेकिन अधिकारों की मात्रा और प्रकृति समान नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 ने पुत्री को सहदायिकी में पुत्र के समान स्थान देकर

ऐतिहासिक परिवर्तन किया। ईसाई और पारसी विधियों में पुत्र और पुत्री के बीच समान वितरण का सिद्धान्त अपेक्षाकृत स्पष्ट है। मुस्लिम विधि महिला के लिए निश्चित हिस्से की सुरक्षा करती है, परंतु समान स्तर के पुरुष और महिला उत्तराधिकारी के अंश में प्रायः अन्तर रखती है।

केवल विधायी समानता पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को सम्पत्ति पर वास्तविक कब्जा, राजस्व अभिलेखों में नाम, सम्पत्ति से आय प्राप्त करने तथा उसे स्वतंत्र रूप से प्रबन्धित करने का अवसर मिलना आवश्यक है। व्यक्तिगत विधियों की धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता का सम्मान करते हुए उनका परीक्षण संविधान के समानता, गरिमा और गैर–भेदभाव के मूल्यों पर किया जाना चाहिए। महिला का सम्पत्ति–अधिकार पारिवारिक कृपा नहीं, बल्कि संवैधानिक गरिमा और आर्थिक न्याय का अनिवार्य अंग है।

फुअ नौट्स अंत टिप्पणियॉ

1. भारत का संविधान, अनुच्छेद 14, 15, 15(3), 21 एवं 300–कय नवीन आधिकारिक पाठरू खविधायी विभाग, भारत सरकार।
2. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, धारा 2य भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925य मुस्लिम व्यक्तिगत विधि (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937।
3. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, धारा 14।
4. वही, धारा 8, 9, 10 एवं अनुसूची।
5. हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005, धारा 3य हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की संशोधित धारा 6।
6. Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma, (2020) 9 SCC 1 पैरा 137; उच्चतम न्यायालय का आधिकारिक निर्णय
7. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, धारा 15 एवं 16।
8. Pratibha Rani v. Suraj Kumar, (1985) 2 SCC 370.
9. मुस्लिम व्यक्तिगत विधि (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937, धारा 2।
10. डी. एफ. मुल्ला, Principles of Mahomedan Law, LexisNexis, नवीन संस्करण, मुस्लिम उत्तराधिकार सम्बन्धी अध्याय।
11. वही Asaf A. A. Fyzee, Outlines of Muhammadan Law, Oxford University Press, वसीयत एवं उत्तराधिकार सम्बन्धी अध्याय।
12. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925, धारा 33य, अधिनियम का आधिकारिक पाठ
13. Mary Roy v. State of Kerala, (1986) 2 SCC 209.
14. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925, धारा 50–56।
15. विशेष विवाह अधिनियम, 1954, धारा 21 एवं 21–क; अधिनियम का आधिकारिक पाठ

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत का संविधान, 1950।
2. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956।
3. हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005।
4. मुस्लिम व्यक्तिगत विधि (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937।
5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925।
6. विशेष विवाह अधिनियम, 1954।
7. Mulla, D. F., Principles of Mahomedan Law, LexisNexis.
8. Fyzee, Asaf A. A., Outlines of Muhammadan Law, Oxford University Press.
9. Diwan, Paras, Modern Hindu Law, Allahabad Law Agency.
10. Kusum, Family Law Lectures: Family Law I, LexisNexis.
11. Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma, (2020) 9 SCC 1.
12. Pratibha Rani v. Suraj Kumar, (1985) 2 SCC 370.
13. Mary Roy v. State of Kerala, (1986) 2 SCC 209.
14. Danamma @ Suman Surpur v. Amar, (2018) 3 SCC 343.
15. Ganduri Koteshwaramma v. Chakiri Yanadi, (2011) 9 SCC 788.

*****